पत्रांक–: 1803 /आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/विधि–अनु0/2017–18/दे0दून।

कार्यालयः– आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक :: 13 जुलाई, 2017

परिपत्र

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1557 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रवर्तन कार्यों के संदर्भ में सचल दल इकाई में तैनात अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के लिए दिए गये दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 में गैर जी0एस0टी0 वस्तुओं यथा पैट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्प्रिट (पैट्रोल), नैचुरल गैस, एविएशन टरबाईन फ्यूल (ATF) तथा मानव उपभोग हेतु शराब के उत्तराखण्ड में आयात किए जाने पर ऑनलाईन ट्रिपशीट/फार्म 16 की पूर्ववर्त्ती व्यवस्था जारी रहने के संबंध में सूचित करने के अतिरिक्त बिन्दु संख्या 6 में उक्त गैर जी0एस0टी0 वस्तुओं के संबंध में ऑनलाईन ट्रांजिट पास संबंधी व्यवस्था पूर्ववत् जारी रहने के संबंध में अवगत कराया गया है।

इस क्रम में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय पर गैर जी0एस0टी0 वस्तुओं यथा पैट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्प्रिट(पैट्रोल), नैचुरल गैस, एविएशन टरबाईन फ्यूल (ATF) तथा मानव उपभोग हेतु शराब के प्रान्त बाहर से आयात किए जाने की दशा में प्रारूप ग (Form-C) की सुविधा जारी रहने अथवा जारी नहीं रहने के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा के आशय से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गये हैं।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त 06 वस्तुओं के जी0एस0टी0 कर प्रणाली में सम्मिलित नहीं होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा इसके तद्धीन बनाए गये नियमों के अन्तर्गत अर्ह व्यापारी, गैर जी0एस0टी0 वस्तुओं यथा पैट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्प्रिट(पैट्रोल), नैचुरल गैस, एविएशन टरबाईन फ्यूल (ATF) तथा मानव उपभोग हेतु शराब का प्रान्त बाहर से आयात/खरीद प्रारूप ग (Form-C) के विरूद्ध पूर्ववर्त्ती व्यवस्था (अर्थात दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूर्व) की भांति कर सकता है तथा ऐसे व्यापारियों के लिए प्रारूप ग (Form-C) जनित (Generate) करने की सुविधा दिनांक 30.06.2017 के उपरान्त भी पूर्ववत् जारी रहेगी।

उपरोक्तानुसार संदर्भित प्रकरण में स्पष्टीकरण जारी किया जाता है।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0: 1803 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जोनल एडिशनल कमिशनर, राज्य कर, उत्तराखण्ड।

2– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील), राज्य कर, उत्तराखण्ड ।

3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0/प्रव0), राज्य कर, को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं संबंधित व्यापारियों को अतिरिक्त प्रतियां कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0का0ब0/टै0रि0), राज्य कर, को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अतिरिक्त प्रतियां कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– श्रीमती नीलम ध्यानी, डिप्टी कमिश्नर एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

7– विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

8– समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय देहरादून।

13/7
आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

Noti/17-18